**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1667

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**प्रवासी बच्चों का शिक्षा का अधिकार**

**1667. श्रीमती कानीमोझीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मौसमी आप्रवासन के कारण ग्रामीण भारत में साक्षरता के स्तर में गिरावट की पहचान करने वाली यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की जानकारी है, और यदि हां, तो इस समस्या का समाधन करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो प्रवासी बच्चों को स्कूलों में दाखिला प्रदान करने संबंधी कार्य को स्थानीय प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य बनाता है, के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): यूनेस्‍को की ग्‍लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) रिपोर्ट 2019 में बताया गया है कि मौसमी प्रवास के कारण 15 से 19 आयु के लगभग 28 प्रतिशत युवा अशिक्षित थे या इन्‍होंने समग्र समूह के 18 प्रतिशत की तुलना में प्राथमिक स्‍कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की है। तथापि, यूनेस्‍को रिपोर्ट में अध्‍ययन हेतु प्रयोग की गई पद्धति का उल्‍लेख नहीं किया गया है और इस डेटा का स्रोत एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया गया अध्‍ययन बताया गया है। यूनेस्‍को ने इस डेटा को सरकार के साथ साझा नहीं किया था इसलिए, यह मंत्रालय यूनेस्‍को रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं कर सकता। तथापि, यह मंत्रालय प्रवासी बच्‍चों को शिक्षा प्रदान करने की समस्‍या से अवगत है।

देश में 7.23 लाख प्राथमिक और 4.19 लाख उच्‍च प्राथमिक स्‍कूलों सहित कुल 11.42 लाख प्रारंभिक स्‍कूल हैं। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2018-19 के डेटा के अनुसार, 97.15% बस्तियों में 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्राथमिक स्‍कूल और 96.49% बस्तियों में 3 कि.मी. की परिधि के भीतर उच्‍च प्राथमिक स्‍कूल स्थित हैं। प्रवासी बच्‍चों के लिए वाहन/एस्‍कॉर्ट सुविधा की भी व्‍यवस्‍था है। जब प्रवासी मजदूर कार्यस्‍थलों, जोकि सामान्‍यत: मुख्‍य ग्राम से दूर होते हैं, पर प्रवास करते हैं तो उनके बच्‍चों को स्‍कूल तक पहुंचने की समस्‍या होती है। ऐसे प्रवासी मजदूरों के बच्‍चों को वाहन/एस्‍कॉर्ट सुविधा प्रदान की जाती है।

एसएसए ने अपनी शुरूआत से, देशभर में स्‍कूल शिक्षा सुविधाओं का सार्वभौमिक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए 2.04 लाख प्राथमिक और 1.59 लाख उच्‍च प्राथमिक स्‍कूलों की व्‍यवस्‍था की है।

नियमित स्‍कूलों के अतिरिक्‍त, राज्‍यों को 1,08,275 की स्‍वीकृत क्षमता के साथ 1,020 आवासीय सुविधाएं स्‍वीकृत की गई हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों के वंचित बच्‍चों और ग्रामीण क्षेत्रों के दुर्गम और कम घनत्‍व जनसंख्‍या वाली बस्तियों में रहने वाले बच्‍चों के लिए मौजूदा स्‍कूलों में 687 छात्रावास और 333 आवासीय स्‍कूल शामिल हैं। ये आवासीय सुविधाएं 7.25 लाख बालिकाओं के आवास की कुल क्षमता वाले 5970 कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (उच्‍च स्‍तर पर केजीबीवी बालिका आवासीय स्‍कूल) के अतिरिक्‍त हैं जिन्‍हें वंचित बालिकाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए राज्‍यों को स्‍वीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्‍त, विभिन्‍न अवधियों के लिए मौसम अनुरूप प्रवास की समस्‍या के समाधान हेतु, राज्‍य विभिन्‍न कार्यनीतियों का उपयोग करते हैं, जिन्‍हें तत्‍कालीन सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए, 2001-02 से 2017-18) तथा समग्र शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रम प्रावधानों के माध्‍यम से भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती हैं। सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को स्‍कूल से बाहर बच्‍चों की पहचान करने के लिए वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करने/घरेलू सर्वेक्षणों को अद्यतन किए जाने की आवश्‍यकता है। इन सर्वेक्षणों में अपने परिवारों के प्रवास द्वारा प्रभावित बच्चों की भी सूचना एकत्रित की जाती है। ऐसे सभी बच्‍चों को स्‍कूल जाने में सक्षम बनाने और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए पर्याप्‍त सहायता प्रदान की जाती है। सभी श्रेणियों के बच्‍चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्‍यापक कार्यनीतियां निम्‍नवत हैं:

(i) बच्‍चों के परिवारों की प्रवास की अवधि के दौरान अपने ग्रामों (जिन ग्रामों से वे जाते हैं) में बच्‍चों को स्‍कूल में बनाए रखने के लिए मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय कैम्‍पों की व्‍यवस्‍था है। इस हस्‍तक्षेप का मुख्‍य उद्देश्‍य प्रवास की अवधि के दौरान गांव में ही आवासीय सुविधाएं प्रदान कर “बच्‍चों को स्‍कूल” में बनाए रखना है ताकि अपने अभिभावकों के प्रवास के दौरान वे शिक्षा जारी रख सकें। ये आवासीय सुविधाएं सभी बच्‍चों के अभिभावकों की वापसी तक जारी रहती हैं।

(ii) बच्‍चों को स्कूल लाने और उनको आयु अनुरूप कक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए कार्यस्‍थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्‍थापना की व्‍यवस्था है। आरटीई अधिनियम की धारा 4 में सभी स्‍कूल छोड़ने वाले और कभी स्‍कूल में नामांकित ना हुए बच्‍चों (अर्थात स्‍कूल से बाहर बच्‍चे) के उनकी आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश और अन्‍य बच्‍चों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रावधान की व्‍यवस्‍था है। यह धारा, इसलिए, उन सभी बच्‍चों, जो छ: वर्ष की आयु से अधिक हैं और किसी भी स्‍कूल में नामांकित नहीं है, अथवा नामांकित हैं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सके हैं, के लिए आयु अनुरूप प्रवेश का अधिकार और विशेष प्रशिक्षण प्राप्‍त करने के अधिकार की गारंटी देती है। इसलिए प्रवासी बच्‍चों के लिए उनके आवासीय स्‍थलों पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, ताकि वे अन्‍य बच्‍चों के समकक्ष बन सके।

केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा के तहत स्‍कूल से बाहर, स्‍कूल छोड़ने वाले और प्रवासी बच्‍चों के लिए गैर-आवासीय कार्य हेतु 6000/- रूपये/प्रति बच्‍चा/प्रतिवर्ष और आवासीय कार्यों के लिए 20,000 रूपये/प्रति बच्‍चा/प्रतिवर्ष की दर से सहायता प्रदान करती है।

(iii) मध्‍याह्न भोजन:- स्‍कूलों में मध्‍याह्न भोजन की राष्‍ट्रीय योजना, जिसे मध्‍याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, एक जारी केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्‍त, समग्र शिक्षा के तहत सहायताप्राप्‍त विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा I-VIII में पढ़ रहे सभी स्‍कूली बच्‍चों को शामिल किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, योजना के तहत 11.34 लाख संस्‍थाओं में पढ़ रहे 9.51 करोड़ बच्‍चे लाभांवित हुए हैं।

(iv) नि:शुल्‍क स्‍कूल वर्दी का प्रावधान: प्रारंभिक स्‍तर पर पढ़ रहे एससी, एसटी और बीपीएल श्रेणियों की सभी बालिकाओं एवं बालकों को नि:शुल्‍क स्कूल वर्दी प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रारंभिक स्‍तर के 8.24 करोड़ छात्रों के लिए 474435.36 लाख रूपये की राशि स्‍वीकृत की गई है।

(v) नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकों का प्रावधान: प्रारंभिक स्‍तर पर पढ़ रहे बच्‍चों को नि:शुल्‍क पाठ्यपुस्‍तकें प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रारंभिक स्‍तर के 10.14 करोड़ छात्रों के लिए 308042.25 लाख रूपये की राशि स्‍वीकृत की गई है।

(ख) सांस्‍थानिक आधार पर सभी बच्‍चों के लिए स्‍कूली शिक्षा की व्‍यवस्‍था सार्वभौमिक नामांकन प्राप्‍त करने की मौलिक आवश्‍यकता है। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्‍चों को नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से, नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम में पड़ोस में स्‍कूल खोलने के लिए मानक और मानदंड निर्धारित हैं। आरटीई अधिनियम में पड़ोस की सीमा अथवा परिभाषित क्षेत्र के भीतर प्रारंभिक स्‍कूलों में बच्‍चों की पहुंच की व्‍यवस्‍था है। अधिनियम की धारा 6 में व्‍यवस्‍था है कि अधिनियम के लागू होने से तीन वर्षों की अवधि के भीतर ‘संबंधित सरकार और स्‍थानीय प्राधिकरण पड़ोस की सीमा अथवा क्षेत्र, जहां पहले से स्‍कूल नहीं हैं, में स्‍कूल की स्‍थापना करेंगे। इसके अलावा,अधिनियम राज्‍य को इसके लिए बाध्‍य करता है कि राज्‍य सह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग या लाभवंचित समूह के किसी भी बच्‍चे के साथ किसी भी ढंग से कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा या उसे प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई करने और उसे पूरी करने से रोका नहीं जाएगा।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश में अधिकांश स्‍कूल राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

**\*\*\*\*\***